न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.औ.) गुलाबपुरा

बईजलास श्री नन्दकिशोर राजोरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं.– 2429/2017

उनवान

1 रामगोपाल पिता उंकार जाट, निवासी आगुँचा

–वादी

बनाम

1 यशपाल पिता गोविन्द राम जाट, निवासी आगुँचा तहसील हुरडा ।
2 किस्मत पुत्री गोविन्दराम जाट, निवासी आगुँचा, तहसील हुरडा ।
3 लाली पुत्री गोविन्दराम जाट, निवासी आगुँचा, तहसील हुरडा ।
4 उछवा देवी पत्नि गोविन्दराम जाट, निवासी आगूचा, तहसील हुरडा ।
5 ओनाड पिता धन्ना जाट, निवासी आगुँचा, तहसील हुरडा ।
6 शंकर लाल पिता रामकुँवार, निवासी आगुँचा, तहसील हुरडा ।
7 हेमराज पिता रामकुँवार , निवासी आगूचा, तहसील हुरडा ।
8 हस्तीमल पिता रामकुँवार, निवासी आगुँचा, तहसील हुरडा ।
9 भोली बेवा रामकुँवार जाट, निवासी आगुँचा, तहसील हुरडा ।
10 मोहनी पत्नि हीरालाल जाट, निवासी आगुँचा, तहसील हुरडा ।
11 राजस्थान सरकार बजरिये तहसील हुरडा ।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री युगलकिशोर व्यास — वकील वादी
श्री रामदयाल जाट — वकील प्रतिवादी सं.– 6 से 10

वादपत्र अर्न्तगत धारा 88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

–:निर्णय:–

दिनांक– 11.06.2018

1 वादी के द्वारा यह वाद पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया गया कि ग्राम आगुँचा तहसील हुरडा में वादी एवं प्रतिवादी संख्या– 1 से लगायत 10 की संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजीयात आराजी नम्बर– 2118 रकबा 02 बीघा 16 बिस्वा स्थित है ।

2 जमाबन्दी ग्राम आगुँचा सम्वत् 2045 से 2048 की जमाबन्दी खाता संख्या– 796 के अनुसार आराजी नम्बर– 2118 श्रीचन्द्र , सोहन , ओनाड, खीया पिता पन्ना, उगमा पिता भूरा जाट के नाम दर्ज रिकार्ड थी, जिसमें उगमा पिता भूरा का 1/2 हक हिस्सा एवं श्रीचन्द्र, सोहन, ओनाड, खीया पिता धन्ना का 1/2 हक हिस्सा निहित था जिसमें से वादी ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के द्वारा खीया का 1/8 हक हिस्सा क्रय किया व उगमा का 1/2 का हिस्सा क्रय किया इस प्रकार

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

वादी ने वादग्रस्त आराजी में 5/8 हक हिस्सा कय किया तथा उक्त विकय पत्र के अनुसरण में नामान्तकरण संख्या– 2080 व 2211 के द्वारा राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में अमल दरामद किया गया । जिससे वाद पत्र की कलम नम्बर– 1 में वर्णित कृषि आराजी में वादी का 5/8 हक हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या– 1 से लगायत 4 का 1/8 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या– 5 का 1/8 हिस्सा प्रतिवादी संख्या– 6 से लगायत 10 का 1/8 हिस्सा निहित है और उसी अनुरुप मौके पर कब्जाकाश्त करते चले आ रहे है ।

3 वादी का वादग्रस्त आराजी पर अपने निहित 5/8 हक हिस्से पर आराजी के पश्चिम दिशा के हिस्से पर कब्जाकाश्त चला आ रहा है ।

4 वादी का वादग्रस्त आराजी पर 5/8 हक हिस्सा निहित है परन्तु प्रतिवादीगण 6 से लगायत 10 अनाधिकारपूर्वक वादी के हक अधिकार को चुनौती देते है जिससे वादी को उक्त आराजी में हक हिस्से बाबत घोषणा कराने की आवश्यकता महसूस हुई है तथा वादी वादग्रस्त आराजी में वादी का 5/8 हक हिस्सा की घोषणात्मक डिकी प्राप्त करने का अधिकारी है ।

5 प्रतिवादीगण दिनांक 18.10.2016 को वादी को उसके निहित हक हिस्से की आराजी को मानने से इन्कार कर दिया जिससे वादी को यह वाद पत्र पेश करने की नोबत पेश आई ।

6 वादी को बिनाय दावा दिनांक 18.10.2016 को उपरोक्त कारण से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है ।

7 अन्त में अंकित किया कि बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण इस अमर की घोषणात्मक डिकी पारित फरमाई जावे कि वादी वादग्रस्त आराजीयात में 5/8 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार है, तथा मुताबिक घोषणा राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में अपना निहित 5/8 अंकन कराने का अधिकारी है ।

8 प्रस्तुत बाद जॉच दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाने पर प्रतिवादी संख्या– 1 3 4 की और से इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत किया गया । प्रतिवादी संख्या– 6 से 10 की और से श्री रामदयाल जाट के द्वारा सूची के साथ दस्तावेज पेश कर प्रार्थना पत्र धारा–10 जाप्ता दिवानी का प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया ।

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

9 वकील उभयपक्ष के द्वारा प्रकरण में बहस सूने जाने पर अपनी सहमति व्यक्त करने से वकील उभयपक्ष की धारा–10 जाप्ता दिवानी पर बहस सूनी गई । वक्त बहस वकील प्रार्थी / प्रतिवादी का कथन था कि उक्त प्रकरण की आराजीयात के सम्बन्ध मे न्यायालय के समक्ष पूर्व में प्रकरण संख्या– 217/2014 शंकर बनाम यशपाल के नाम से पेश किया गया था । जिसमें न्यायालय द्वारा बाद सूनवाई दिनांक 11.02.2017 अंतिम डिकी पारित की गई । जिसमें वादी रामगोपाल

Scanned by CamScanner

बतौर पक्षकार कायम था । इसलिये प्रकरण में दर्शायी गई आराजीयात के सम्बन्ध में नये सिरे से वाद प्रस्तुत किया गया है जो खारिज योग्य है । वकील प्रार्थी ने यह भी कथन किया कि पूर्व में निर्णित प्रकरण की अपील न्यायालय भू–प्रबन्ध एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा के यहॉ प्रस्तुत की गई है जिसके अपील नम्बर– 139/2017 है जिसमें अपील न्यायालय में राजस्व रिकार्ड एवं मौखिक यथास्थिति बाबत आदेश पारित कर रखा है । अन्त में कथन किया कि वादी रामगोपाल ने न्यायालय को गुमराह कर उक्त वादपत्र पेश किया गया है जो खारिज योग्य है ।

10 जबकि वकील अप्रार्थी / वादी का कथन था कि पूर्व में वाद प्रस्तुत किया गया है वो विभाजन का वाद था यह वाद वादी के हकों के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें ।

11 मैंने वकील उभयपक्ष को सूना । बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया । विवेचन निम्न प्रकार से है ।

12 वादी के द्वारा जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 मौजा आगुँचा तहसील हुरडा के अनुसार वादग्रस्त आराजी नम्बर– 2118 रकबा 02 बीघा 16 बिस्वा भूमि शंकरलाल, हेमराज, हस्तीमल, पिता रामकुँवार , भोली बेवा रामकुँवार मोहनी माता रामकुँवार, यशपाल पिता गोविन्दराम, किस्मत लाल, पुत्री गोविन्दराम , उछवा देवी बेवा गोविन्दराम, ओनाड पिता धन्ना, रामगोपाल पिता उंकार जाट के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है ।

13 यहॉ वादी वादग्रस्त आराजीयात में अपना 5/8 हक हिस्सा बताकर हक घोषणा करवाना चाहता है । चुँकि इसी वादग्रस्त आराजीयात नम्बर– 2118 रकबा 02 बीघा 16 बिस्वा भूमि के लिये पूर्व में भी शंकरलाल पिता रामकुँवार जाट के द्वारा यशपाल पिता गोविन्दराम के विरुद्ध अन्तर्गत धारा– 53 , 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया था, जिसमें अंतिम डिकी पारित करने के समय वकील वादी के द्वारा हक हिस्से के सम्बन्ध में आपति की थी, जिसका निस्तारण वक्त बहस किये जाकर प्रकरण में अंतिम निर्णय / डिकी पारित की जा चूकी है । उक्त पारित निर्णय/ डिकी की अपील शंकरलाल के द्वारा माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन अपील प्राधिकारी भीलवाडा में प्रस्तुत करने से प्रकरण अपील न्यायालय में विचाराधीन होना वकील प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रकट हुआ है । प्रकरण में वादी का हिस्सा यदि 5/8 है तो वह अपील न्यायालय में तय हो जायेगा । ऐसी स्थिति में पुनः वादग्रस्त आरजी नम्बर–2118 रकबा 02 बीघा 16 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत वाद रेसजूडिकेटा की तारिफ में आने से दावा वादी खारिज योग्य है।

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

—: निर्णय :—

दावा वादी खारिज किया जाता है । तद्नुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो । पत्रावली शूमार फैसल होकर दाखिल दफतर करें । निर्णय आज दिनांक 11.06.2018 को खुली अदालत केम्प कोर्ट आगुँचा पर सूनाया गया ।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner